



पत्रांक:- /मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/वा०-1/LMV-10(2018-19)

दिनांक/फरवरी, 15 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद् द्वारा मा० विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 22.01.2019 में समस्त विद्युत उपभोक्ता श्रेणियों की पूर्व की दरों के सापेक्ष दरों में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने के आलोक में विभागीय/सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों हेतु एल०एम०वी०-10 श्रेणी में विद्युत उपभोग की सुविधा हेतु पूर्व के जारी कार्यालय ज्ञाप सं० 58/मु०अभि०/वा०-1/LMV-10(2017-18) दिनांक 07.02.2018 के प्रावधानों को आगामी आदेशों तक यथावत् रखा जाता है।

अपर्णा यू०
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:- 66 /मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/वा०-1/LMV-10(2018-19)/तददिनांक : 15-2-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का० प्रब० एवं प्रशा०)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (वितरण)/निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ एवं केरको-कानपुर।
6. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ एवं केरको-कानपुर।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि० मुख्यालय, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य लेखाधिकारी (केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अपर्णा यू०
प्रबन्ध निदेशक